रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 484] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 1972/कार्तिक 22, 1894

No. 484] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 1972/KARTIKA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 13th November, 1972

S.O. 703(E)/IDRA/5/2.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 read with rule 4 of the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the undermentioned persons to be members till the 28th August, 1974 of the Central Advisory Council of Industries established by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 2591 dated the 29th August, 1972 as amended and directs that the following amendment shall be made in the said Order, namely:—

In the said Order, after entry No. 27 relating to Shri D. N. Sahay, the following entries shall be added namely:—

"28. Shri D. Inder Singh M.P., A-12, Westend, New Delhi-21.

29. Shri Devendra Satpathy, M.P., 60, Lodhi Estate, New Delhi."

[No. 1(1)/Lic.Pol./72.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1972

का० आ० 703(अ)/आई० डी० आर० ए०/5/2—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 4 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 28 अगस्त, 1974 तक के लिए भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2591 दिनांक 29 अगस्त, 1972 के द्वारा स्थापित, जिसे संशोधित किया गया है, उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, श्री डी० एन० सहाय से संबंधित प्रविष्टि सं० 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

"28. श्री डी० इन्दर सिंह, संसद्-सदस्य,
ए-12, वैस्टेंड, नई दिल्ली-21 ।

29. श्री देवेन्द्र सत्पथी, संसद्-सदस्य,
60, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली" ।

[सं० 1(1)/एल० पी०/72]

एम० वे० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972